न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 सोनलबेन पत्नी प्रतापराम कोली जाति कोली निवासी गांधीनगर, आबुरोड जिला सिरोही		1 नवलसिंह पुत्र भोपालसिंह देवडा जाति राजपूत निवासी तरतोली तहसील आबुरोड़ जिला सिरोही 2 हीरालाल पुत्र लुम्बाराम जाति मेघवाल निवासी तरतोली तहसील आबुरोड़ जिला सिरोही 3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आबुरोड़ जिला सिरोही 4 पटवार हल्का खडात तहसील आबुरोड जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्र आढ़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 3.10.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक जिलाधीश आबू पर्वत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2015 नवलसिंह बनाम सोनलबेन वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा खडात के खसरा नम्बर 248 रकबा 4–05 बीघा में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 250 रकबा 3–07 बीघा भूमि में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान का राजीनामा बताते हुए जैर अपील आदेश पारित किया, जबकि राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

न तो अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया तथा न ही अपीलाण्ट राजस्व लोक अदालत में उपस्थित थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान करने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मौका रिपोर्ट तलब की तथा न ही मौका निरीक्षण के आदेश जारी किए। विधि विरूद्ध रूप से खानापूर्ति स्वरूप मौका फर्द तैयार करते हुए अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई मार्ग नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रसतुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर पटवारी हल्का, भू0अ0नि0 एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर है। उक्त निर्णय की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिकर की राशि अपीलाण्ट को अदा की है, जो अपीलाण्ट द्वारा प्राप्त की जा चुकी है तथा निर्णय की पालना भी हो चुकी है। इस स्थिति में अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जावे। इसके अतिरिक्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा खडात के खसरा नम्बर 248 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 250 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 248 नवलसिंह पुत्र भोपालसिंह देवडा जाति राजपूत सा0 तरतोली 2/3, हीरालाल पुत्र लुम्बाराम जाति मेघवाल निवासी तरतोली 1/3 खातेदार दर्ज है। जैर अपील वादस्थ भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम खडात के खसरा नम्बर 250 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में लगे नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 805 नि0दि0 05.02.2016 रूपान्तरण द्वारा खसरा नम्बर 250 रकबा 1–18, खसरा नम्बर 250/1 रकबा 1–09 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 3–07 किस्म शैक्षणिक संपरिवर्तित होने से नगर सुधार न्यास आबू के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार भू राजस्व रेकर्ड में संपरिवर्तित हो चुकी है। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार आबुरोड के समक्ष निर्णय की पालना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वयं अपीलाण्ट द्वारा प्रतिकर राशि प्राप्त की है, जबकि उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 10.05.2017 को

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपीलाण्ट के आम मुख्तियार द्वारा उक्त भूमि का विक्रय आदर्श शिक्षण सेवा ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय डीजलशेड रोड़, गांधीनगर, आबुरोड के पक्ष में किया जा चुका था तथा इससे पूर्व ही उक्त भूमि को रूपान्तरण करवाया जा चुका है। विधि अनुसार संपरिवर्तन की कार्यवाही खातेदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर ही की जाती है तथा स्वयं खातेदार अपीलाण्ट द्वारा इन समस्त तथ्यों को न्यायालय से छुपाया गया है। अपीलाण्ट द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के बावजूद भी आधारभूत तथ्यों को न्यायालय से छुपाने का कृत्य न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं होने की श्रेणी में परिलक्षित होता है। इस कारण अपीलाण्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं है। तद्नुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी आबू पर्वत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2015 नवलसिंह बनाम सोनलबेन वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 3.10.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही